I/131653/2022 File No. 77-1002/2/2021

संख्या-2/2022/1702/77-1-2021-01(बजट)/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषयः- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) के सापेक्ष धनराशि रू0 48.78 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रावधानित धनराशि रू0 1,95,10,000.00 (रू0 एक करोड़ पन्चानवे लाख दस हजार मात्र) में से चार त्रैमासिक किश्तों के आधार पर शासनादेश संख्या-I/80085/2021/77-1002/2/2021, दिनांक 16.07.2021 द्वारा प्रथम किश्त रू0 48,78,000.00 (रू0 अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) निर्गत की गयी है। अत: अवशेष धनराशि रू0 1,46,32,000.00 (रू0 एक करोड़ छियालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) में से द्वितीय किश्त रू0 48,78,000.00 (रू0 अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं:-

1. उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर को होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 48,78,000.00 (रू0 अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाएगी, अर्थात इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई वितथ न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ होने पर निर्धारित 14(चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5. वर्तमान वित्तीय वर्ष में अग्रतर स्वीकृति हेतु कम्पनी द्वारा शासन को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ कम्पंनी के बैंक स्टेटमेन्ट तथा मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. कंपनी द्वारा विगत तीन वर्षों में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का विवरण उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जाएगी।

7. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

8. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2022 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को भेजी जाए।

9. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

10. उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0 कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-

(क) कोषागार का नाम।

(ख) चालान संख्या व दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ) लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च) शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ) पिछले जमा का सन्दर्भ।

11- ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

12. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

13. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

14. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

15. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर उक्त बन्द कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्जे-01-वस्त्र उद्योग-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में कर्जे-04-उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर को कर्जे-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-6-3407-दस-2021-22 दिनांक 11.01.2022 के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव।

संख्या-2/2022/1702(1)/77-1-2021-01(बजट)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आवंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

6. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0 कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।